(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 816–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–3–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 620/अपील/2012–13 ।

....

1–मिट्ठूलाल पिता हीरालाल
निवासी तिलगारा तहसील बदनावर
जिला धार
2–गिरधारीलाल पिता हीरालाल
निवासी तिलगारा तहसील बदनावर
जिला धार
3–सागरबाई पिता हीरालाल पति शंकरलाल
निवासी ग्राम सिमलावदा तहसील व जिला रतलाम
4–कमलाबाई पिता हीरालाल पति भागीरथ
निवासी ग्राम सिमलावदा तहसील व जिला रतलाम
5–शांतिबाई पिता हीरालाल पति बद्रीलाल
निवासी तिलगारा तहसील बदनावर
जिला धार

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–दुलीचन्द पिता हीरालाल
निवासी तिलगारा तहसील बदनावर जिला धार
हाल मुकाम लसुड़ावन तहसील जिला मंदसौर
2–जानीबाई बेवा शंकरलाल
निवासी तिलगारा तहसील बदनावर जिला धार
हाल मुकाम ग्राम सिमलावदा तहसील व जिला रतलाम
3–बाबूलाल पिता शंकरलाल
निवासी तिलगारा तहसील बदनावर जिला धार
हाल मुकाम ग्राम सिमलावदा तहसील व जिला रतलाम
4–रमेश पिता नानालाल
निवासी तिलगारा तहसील बदनावर जिला धार
हाल मुकाम ग्राम सिमलावदा तहसील व जिला रतलाम
5–रत्तीचंद पिता नानालाल
मृत वारिस
अ–भगवती पिता रत्तीचंद
ब–शांतिलाल पिता रत्तीचंद

दोनों निवासी तिलगारा तहसील बदनावर जिला धार
हाल मुकाम ग्राम सिमलावदा तहसील व जिला रतलाम
6—बालाराम पिता हीरालाल
निवासी तिलगारा तहसील बदनावर जिला धार
हाल मुकाम ग्राम बिरमावल तहसील व जिला रतलाम
7—नाथीबाई पिता नानालाल पति कालूराम
निवासी तिलगारा तहसील बदनावर जिला धार
हाल मुकाम ग्राम मोकडी तहसील खाचरोद जिला उज्जैन

.... अनावेदकगण

....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक—आवेदकगण
श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषक—अनावेदक कमांक 2 से 7 तक

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/12/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2—3—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक मिट्ठूलाल द्वारा तहसीलदार तहसील बदनावर के समक्ष संहिता की धारा 109—110 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष के संयुक्त नाम से ग्राम तिलगारा तहसील बदनावर में सर्वे कमांक 789, 2273, 2274, 2275, 2277, 2278 कुल रकबा 1.314 हेक्टेयर भूमि स्थित होकर आवेदकगण एवं अनावेदकगण भूमिस्वामी है । प्रश्नाधीन भूमि के खातेदार बालाराम ने अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर दी गई तथा दुलीचंद, सागरबाई कमलाबाई रमेश भगवतीलाल नाथीबाई, बाबूलाल, शंकरलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग दिया था । अतः सभी हितधारी अपनी भूमि में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं । आवेदक मिटठूलाल उक्त भूमि पर काबिज होकर खेतीबाड़ी कर रहा है । इस आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा प्रकरण में

कार्यवाही करते हुये दिनांक 30–12–2011 को आदेश पारित कर आवेदक निट्ठूलाल का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर यथावत् रखते हुये शेष खातेदारों के नाम कम करने के निर्देश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक गण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–4–13 को अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–3–2016 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि ग्राम तिलगारा तहसील बदनावर स्थित कुल रकबा 1.314 हेक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख में मूल भूमिस्वामी के बैध वारिसान उभयपक्षों का नाम राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से अंकित किये जाने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 109–110 पर विचार नहीं कर अपील स्वीकार करने में भूल की गई है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी बदनावर जिला धार द्वारा अनावेदक कमांक 1 की अपील अवधि बाधित होने से निरस्त की गई थी उस पर विचार नहीं कर अपील स्वीकार करने में बैधानिक त्रुटि की है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि आवेदक एवं अनावेदकगण एक ही परिवार के सदस्य होकर एवं अनावेदकगणों ने अपना हक आवेदक के हित में त्याग दिया व नामान्तरण करने में सहमति दी है तो इसमें कोई कानूनी बाधा उत्पन्न नहीं होती है, इसका विचार नहीं करते हुये अपील स्वीकार करने में त्रुटि की है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश अवैधानिक, अनियमित एवं क्षेत्राधिकार से परे है । अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 2 से 6 तक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना हितधारी को विधिवत् सूचना दिये पारित नामान्तरण व बटवारा आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा संहिता में दिये गये नामान्तरण नियम 27 का पालन किये बगैर एवं बिना विज्ञप्ति का विधिवत् प्रकाशन किये अवैध आदेश पारित किया गया था जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) अधीनस्थ तहसील एवं प्रथम अपीलीय न्यायालयों द्वारा बिना रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के प्रावधानों पर कोई विचार किये आवेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड स्वत्व त्याग लेख के आधार पर आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है, जबकि उक्त स्वत्व त्याग लेख फर्जी, कूटरचित होने व अनरजिस्टर्ड होने से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 49 के अनुसार साक्ष्य हेतु ग्राह्य योग्य ही नहीं है, जिस पर द्वितीय अपीलीय अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा ध्यान दिया जाकर उक्त अधीनस्थ न्यायालयों के अवैधानिक आदेशों को निरस्त करने में विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

(4) अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तहसील न्यायायल के समक्ष चले प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमियों के सहखातेदारों के दैनिक समाचार पत्र में सूचना पत्र प्रकाशन किये जाने के आधार पर सूचना पत्र तामीली मान्य किये जाने में गंभीर त्रुटि की है जबकि प्रश्नाधीन भूमि के अन्य सहखातेदार अलग अलग जिलों में निवासरत होने से इंदौर जिले में प्रकाशित समाचार पत्र के आधार पर अन्य जिलों में निवासरत पक्षकारों पर सूचना पत्र की तामीली संहिता की अनुसूची 1 में दिये

गये नियमों के अनुसार मान्य नहीं की जा सकती है । तहसील न्यायालय को अभिलिखित भूमिस्वामीयों व सहखातेदारों के नाम कम कर एक ही भूमि स्वामी का नाम यथावत् रखने में विधिअनुसार कोई अधिकार नहीं होने से तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखे जाने में प्रथम अपील न्यायालय ने विधि की गंभीर त्रुटि की है एवं उक्त अवैधानिक, अधिकारिता रहित आदेशों को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन में 1991 आरएन 250, 2005 आरएन 355, 1983 आरएन 422, 2007 आरएन 28 व 2002 आरएन 306 के न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाहय प्रस्तुत होने के आधार पर निरस्त की गई है, जबकि इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्टतः मान्य किया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 64 पर दिनांक 19—6—1989 को आदेश पारित करने में आवेदकगण सहित हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः नोटिस की तामीली नहीं कराई गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । यदि अपर आयुक्त के मत में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर अपील निरस्त करने में अवैधानिकता की गई थी, तब या तो उन्हें स्वयं प्रकरण में गुणदोष पर विचार करके आदेश पारित करना था या प्रकरण गुणदोष पर निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिये था। अत इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य करते हुये

उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर अपील का गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जावे ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–3–2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2013 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में गुणदोष पर निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर